

वैकल्पिक एवं औपचारिक शिक्षा

संचालित गतिविधियाँ

1. प्रवेशोत्सव एवं उजियारी पंचायत:- हमारा संविधान 14 ं यु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु 5 से 18 ं यु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया। इस हेतु शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य में प्रवेशोत्सव के दौरान हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाता है तथा पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन व ड्रॉप ं उट फ्री पंचायतों को “उजियारी पंचायत” के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया जाता है।

2. ं वासीय/ गैर ं वासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर:- प्रवेशोत्सव के दौरान शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का विद्यालयों में ं यु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराने के पश्चात उनकी ं वश्यकतानुसार कक्षा की दक्षताओं का विकास करने हेतु जिलों पर ं वासीय/ गैर ं वासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन किये जाते हैं। यह शिविर शिक्षा से वंचित उन 7 से 14 ं युवर्ग के अनामांकित एवं ड्रॉप ं उट बालक-बालिकाओं के लिए संचालित किए जाते हैं जहां विशेष प्रशिक्षण की ं वश्यकता होती है। इस हेतु 3, 6 व 9 माही विशेष प्रशिक्षण शिविर ं योजित किये जाते हैं।

3. सीजनल छात्रावास:- राज्य में बहुत से जिलों में ं जिविका के लिए कई परिवार राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में तथा राज्य से बाहर अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। ऐसी स्थिति में परिवारों के साथ विद्यालय में पढ़ने वाले बालक भी पलायन करते हैं जिससे उनका शिक्षण बाधित होता है। अतः उन बालक-बालिकाओं

को विद्यालय के साथ छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराकर रोकने का प्रयास किया जाता है।

4. □ वासीय विद्यालय/ छात्रावास:- शहरी सुविधा वंचित बच्चे\ बेघर और दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले तथा वयस्क देखरेख से वंचित ऐसे बच्चे जिन्हें केवल स्कूली शिक्षा की जरूरत ही नहीं बल्कि रहने और बोर्िंग सुविधाओं की भी जरूरत होती है एवं राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 के नियम 7(4) में ऐसे दुष्कर भौगोलिक भू-भाग सहित छितरी □ बादी वाले अथवा पर्वतीय और घने वन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, जहाँ एक नया प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं है, इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा □ वासीय विद्यालय एवं छात्रावास का प्रावधान किया है, जिससे ऐसे बच्चे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा को पूर्ण कर शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

राजस्थान में कक्षा 6 से 8 के लिए अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, जालौर एवं उदयपुर जिले के □ वासीय विद्यालय केजीबीवी मॉल-I के मापदण अनुसूच तथा जोधपुर जिले का □ वासीय विद्यालय केजीबीवी मॉल- II के मापदण अनुसूच एस.एम.सी. के माध्यम से संचालित है। चार □ वासीय छात्रावास जिला बीकानेर, कोटा एवं जैसलमेर में संचालित है।

5. ट्रांसपोर्ट वाउचर:- ऐसे छितरी एवं कम □ बादी क्षेत्रों एवं ढाणियों जहां निर्धारित मानदणानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6-14 वर्ष □ यु वर्ग के बालक बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमता पूर्वक पहुँचाने के उद्देश्य से सत्र 2017-18 से कक्षा 1-8 के ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा दी जा रही है। इसी प्रकार बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने व जेणर गेप कम करने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 9. 12 बालिकाओं को साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं होने पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जाता है।

6. यूथ एवं ईको क्लब:- यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, □ त्मसम्मान एवं □ त्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गयी। ईको क्लब के तहत बच्चों को अपने □ स-पास के पर्यावरण एवं जैव-विविधता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब की स्थापना की गयी। प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब के तहत विद्यार्थियों के लिये पांच सदन (हाऊस) गठित किये गये। शिक्षक विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम की महत्वता बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।

7. लाइब्रेरी ग्रान्ट:- पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी पुस्तकों तक बच्चों की पहुँच सुलभ की जावे जो ज्ञानवर्द्धक होने के साथ-साथ रुचिपूर्ण एवं मनोरंजक हो। पुस्तकें बच्चों के पठन कौशल विकास में सहायक होती हैं साथ ही समझ कर पढ़ने की ओर प्रेरित कर चहुमुखी प्रगति के द्वार खोलती हैं। जिस बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में है, पुस्तकें उस क्षेत्र की ओर अनन्त तक उन्हें □ गे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। पुस्तकें पढ़ने के साथ-साथ बच्चे पुस्तकों से □ त्मीय रिश्ता ढूँढते हैं। इसलिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 में प्रावधान के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होना होगा, जिससे किताबों (चित्रमय), संदर्भ पुस्तकों, जैव ग्राफिक्स, ऑटो जैव ग्राफिक्स, शब्दकोश, विश्वकोष, ऑडियो विजुअल सामग्री इत्यादि के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों तक पहुँच होगी।

8. स्पोर्ट्स ग्रान्ट:- बच्चों में खेलों के प्रति रुचि विकसित करने तथा बच्चों को शैक्षिक गतिविधि के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियां कराये जाने के लिये 'खेले

इण्डिया खिले इण्डिया' के अन्तर्गत माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों को खेल सामग्री व उपकरण हेतु स्पोर्ट्स ग्रांट का प्रावधान किया गया है।

9. कम्पोजिट स्कूल ग्रांट:- समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक, भौतिक व वश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत व वश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक व वश्यकताओं की पूर्ति करना है।

10. ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC GRANT):- कार्यालयी कार्य को गति देने एवं प्रभावी बनाने की श्रृंखला में शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों पर समय-समय पर व योजित की जाने वाली बैठकों की सफल व्यवस्थाओं निर्बाध संचालन हेतु समग्र शिक्षा अन्तर्गत 301 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बी व रसी) को ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन एवं अकादमिक सहायता हेतु बी व रसी ग्रांट का बजट प्रावधान है। परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों के विद्यालय स्तर पर प्रभावी संचालन व मॉनीटरिंग तथा ब्लॉक कन्टिजेन्सी मीटिंग, टीए व टीएलएम हेतु बजट प्रावधान रखा गया है।

11. संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रांट (CRC GRANT) - परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों के विद्यालय स्तर पर प्रभावी संचालन व मॉनीटरिंग हेतु पीईईओ एवं शहरी नो ल केन्द्रों हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र राशि जारी की जाती है। यह राशि कन्टिजेन्सी, मीटिंग, टीए, टीएलएम व मोबिलिटी सपोर्ट हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

12. शिक्षक पहचान-पत्र:- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार विद्यालय की शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों के साथ-साथ शिक्षा से वंचित बच्चों एवं समुदाय को विद्यालय से जोड़ने में शिक्षकों द्वारा महत्वपूर्ण

योगदान दिया जा रहा है, जिससे शिक्षकों की विद्यालय के साथ-साथ समाज के रचनात्मक कार्यों एवं शैक्षिक क्रिया-कलापों में भागीदारी बढ़ी है। विद्यालय परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाली बाल सभाओं अथवा अन्य रचनात्मक शैक्षिक गतिविधियों में शिक्षकों की भूमिका को ध्यान में रखकर समुदाय में शिक्षकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिये राजकीय विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक को 'शिक्षक परिचय पत्र' दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

13. शिक्षक ँायरी:- शिक्षकों द्वारा शिक्षक ँायरी में शिक्षण से पूर्व पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, जिससे शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है तथा शिक्षण की विधाओं में सुधार आता है। शिक्षक ँायरीय शिक्षक द्वारा की जाने वाली शिक्षण गतिविधियों का दर्पण होती है। इसका प्रभावी उपयोग किया जाकर विषयवस्तु को बच्चों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है तथा निर्धारित कलैणर अनुसार समय पर पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जा सकता है। शिक्षक ँायरी द्वारा प्रतिदिन कक्षाकक्ष में सम्पादित की गई शैक्षिक गतिविधि का आकलन किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2019-20 में राजकीय विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक को 'शिक्षक ँायरी' उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।

वैकल्पिक एवं औपचारिक शिक्षा संचालित गतिविधियाँ

1. प्रवेशोत्सव एवं उजियारी पंचायत :- हमारा संविधान 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु 5 से 18 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया। इस हेतु शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य में प्रवेशोत्सव के दौरान हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाता है तथा पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन व ड्रॉप आउट फ्री पंचायतों को "उजियारी पंचायत" के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया जाता है।

2. आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर :- प्रवेशोत्सव के दौरान शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराने के पश्चात उनकी आवश्यकतानुसार कक्षा की दक्षताओं का विकास करने हेतु जिलों पर आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों का

संचालन किये जाते हैं। यह शिविर शिक्षा से वंचित उन 7 से 14 आयुवर्ग के अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के लिए संचालित किए जाते हैं जहां विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस हेतु 3, 6 व 9 माही विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं।

3. **सीजनल छात्रावास :-** राज्य में बहुत से जिलों में आजिविका के लिए कई परिवार राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में तथा राज्य से बाहर अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। ऐसी स्थिति में परिवारों के साथ विद्यालय में पढने वाले बालक भी पलायन करते हैं जिससे उनका शिक्षण बाधित होता है। अतः उन बालक-बालिकाओं को विद्यालय के साथ छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराकर रोकने का प्रयास किया जाता है।
4. **आवासीय विद्यालय/ छात्रावास :-** शहरी सुविधा वंचित बच्चे, बेघर और दुष्कर परिस्थितियों में रहने वाले तथा वयस्क देखरेख से वंचित ऐसे बच्चे जिन्हें केवल स्कूली शिक्षा की जरूरत ही नहीं बल्कि रहने और बोर्डिंग सुविधाओं की भी जरूरत होती है एवं राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 के नियम 7(4) में ऐसे दुष्कर भौगोलिक भू-भाग सहित छितरी आबादी वाले अथवा पर्वतीय और घने वन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, जहाँ एक नया प्राथमिक अथवा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं है, इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का प्रावधान किया है, जिससे ऐसे बच्चे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा को पूर्ण कर शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

राजस्थान में कक्षा 6 से 8 के लिए अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, जालौर एवं उदयपुर जिले के आवासीय विद्यालय केजीबीवी मॉडल-I के मापदण्ड अनुरूप तथा जोधपुर जिले का आवासीय विद्यालय केजीबीवी मॉडल-II के मापदण्ड अनुरूप एस.एम.सी. के माध्यम से संचालित है। चार आवासीय छात्रावास जिला बीकानेर, कोटा एवं जैसलमेर में संचालित है।
5. **ट्रांसपोर्ट वाउचर :-** ऐसे छितरी एवं कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों जहां निर्धारित मानदण्डानुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्तापरक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमता पूर्वक पहुँचाने के उद्देश्य से सत्र 2017-18 से कक्षा 1-8 के ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा दी जा रही है। इसी प्रकार बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर बढ़ाने व जेण्डर गैप कम करने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 9-12 बालिकाओं को साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं होने पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जाता है।
6. **यूथ एवं ईको क्लब :-** यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गयी। ईको क्लब के तहत बच्चों को अपने आस-पास के पर्यावरण एवं जैव-विविधता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा पर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब की स्थापना की गयी। प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब के तहत विद्यार्थियों के लिये पांच सदन (हाऊस) गठित किये गये। शिक्षक विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के परिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम की महत्वता बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, पत्र-पत्रिकाओं इत्यादि स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।
7. **लाइब्रेरी ग्रान्ट :-** पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी पुस्तकों तक बच्चों की पहुँच सुलभ की जावे जो ज्ञानवर्द्धक होने के साथ-साथ रुचिपूर्ण एवं मनोरंजक हो। पुस्तकें बच्चों के पठन कौशल विकास में

सहायक होती हैं, साथ ही समझ कर पढ़ने की ओर प्रेरित कर बहुमुखी प्रगति के द्वार खोलती हैं। जिस बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में है, पुस्तकें उस क्षेत्र की ओर अनन्त तक उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। पुस्तकें पढ़ने के साथ-साथ बच्चे पुस्तकों से आत्मीय रिश्ता ढूँढते हैं। इसलिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 में प्रावधान के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होना होगा, जिससे किताबों (चित्रमय), संदर्भ पुस्तकों, जैव ग्राफिक्स, ऑटो जैव ग्राफिक्स, शब्दकोश, विश्वकोष, ऑडियो विजुअल सामग्री इत्यादि के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों तक पहुंच होगी।

8. **स्पोर्ट्स ग्रांट :-** बच्चों में खेलों के प्रति रुचि विकसित करने तथा बच्चों को शैक्षिक गतिविधि के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियां कराये जाने के लिये 'खेले इण्डिया खिले इण्डिया' के अन्तर्गत माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों को खेल सामग्री व उपकरण हेतु स्पोर्ट्स ग्रांट का प्रावधान किया गया है।
9. **कम्पोजिट स्कूल ग्रांट :-** समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।
10. **ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC GRANT):-** कार्यालयी कार्य को गति देने एवं प्रभावी बनाने की श्रृंखला में शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों पर समय-समय पर आयोजित की जाने वाली बैठकों की सफल व्यवस्थाओं निर्बाध संचालन हेतु समग्र शिक्षा अन्तर्गत 301 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) को ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन एवं अकादमिक सहायता हेतु बीआरसी ग्रांट का बजट प्रावधान है। परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों के विद्यालय स्तर पर प्रभावी संचालन व मॉनीटरिंग तथा ब्लॉक कन्टिजेन्सी, मीटिंग, टीए व टीएलएम हेतु बजट प्रावधान रखा गया है।
11. **संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रांट (CRC GRANT):-** परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों के विद्यालय स्तर पर प्रभावी संचालन व मॉनीटरिंग हेतु पीईईओ एवं शहरी नोडल केन्द्रों हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र राशि जारी की जाती है। यह राशि कन्टिजेन्सी, मीटिंग, टीए, टीएलएम व मोबिलिटी सपोर्ट हेतु उपलब्ध करायी जाती है।
12. **शिक्षक पहचान-पत्र :-** निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार विद्यालय की शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों के साथ-साथ शिक्षा से वंचित बच्चों एवं समुदाय को विद्यालय से जोड़ने में शिक्षकों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, जिससे शिक्षकों की विद्यालय के साथ-साथ समाज के रचनात्मक कार्यों एवं शैक्षिक क्रिया-कलापों में भागीदारी बढ़ी है। विद्यालय परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाली बाल सभाओं अथवा अन्य रचनात्मक शैक्षिक गतिविधियों में शिक्षकों की भूमिका को ध्यान में रखकर समुदाय में शिक्षकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिये राजकीय विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक को 'शिक्षक परिचय पत्र' दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
13. **शिक्षक डायरी :-** शिक्षकों द्वारा शिक्षक डायरी में शिक्षण से पूर्व पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, जिससे शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है तथा शिक्षण की विधाओं में सुधार आता है। शिक्षक डायरी; शिक्षक द्वारा की जाने वाली शिक्षण गतिविधियों का दर्पण होती है। इसका प्रभावी उपयोग किया जाकर विषयवस्तु को बच्चों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है तथा निर्धारित कलैण्डर अनुसार समय पर पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जा सकता है। शिक्षक डायरी द्वारा प्रतिदिन कक्षाकक्ष में सम्पादित की गई शैक्षिक गतिविधि का आकलन किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2019-20 में राजकीय विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक को 'शिक्षक डायरी' उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।

वैकल्पिक एवं औपचारिक शिक्षा

संचालित गतिविधियाँ

1. प्रवेशोत्सव एवं उजियारी ंचायत:- हमारा संविधान 14 आयु वर्ग तक के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की घोषणा करता है। संविधान में घोषित लक्ष्य की प्राप्ति तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु 5 से 18 आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नामांकन वृद्धि एवं ठहराव हेतु एक व्यापक अभियान चलाये जाने का निश्चय किया गया। इस हेतु शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य में प्रवेशोत्सव के दौरान हाउस होल्ड सर्वे करवाया जाता है तथा पूर्ण नामांकन एवं ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अनामांकन व ड्रॉप आउट फ्री ंचायतों को “उजियारी ंचायत” के रूप में चिन्हित कर सम्मानित किया जाता है।

2. आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविर:- प्रवेशोत्सव के दौरान शिक्षा से वंचित बालक-बालिकाओं का विद्यालयों में आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराने के ंश्चात उनकी आवश्यकतानुसार कक्षा की दक्षताओं का विकास करने हेतु जिलों पर आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण शिविरों का संचालन किये जाते हैं। यह शिविर शिक्षा से वंचित उन 7 से 14 आयुवर्ग के अनामांकित एवं ड्रॉप आउट बालक-बालिकाओं के लिए संचालित किए जाते हैं जहां विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस हेतु 3, 6 व 9 माही विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जाते हैं।

3. सीजनल छात्रावास:- राज्य में बहुत से जिलों में आजिविका के लिए कई ंरिवार राज्य के एक जिले से दूसरे जिले में तथा राज्य से बाहर अन्य राज्यों में ंलायन करते हैं। ऐसी स्थिति में ंरिवारों के साथ विद्यालय में ंढने वाले बालक भी ंलायन करते हैं जिससे उनका शिक्षण बाधित होता है। अतः उन बालक-बालिकाओं को विद्यालय के साथ छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराकर रोकने का प्रयास किया जाता है।

4. आवासीय विद्यालय/ छात्रावास:- शहरी सुविधा वंचित बच्चे बेघर और दुष्कर ंरिस्थितियों में रहने वाले तथा वयस्क देखरेख से वंचित ऐसे बच्चे जिन्हें केवल स्कूली शिक्षा की जरूरत ही नहीं बल्कि रहने और बोर्पिंग सुविधाओं की भी जरूरत होती है एवं राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 के नियम 7(4) में ऐसे दुष्कर भौगोलिक भू-भाग सहित छितरी आबादी वाले अथवा ंर्वतीय और घने वन क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, जहाँ एक नया प्राथमिक अथवा

उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं है, इस हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का प्रावधान किया है, जिससे ऐसे बच्चे अपनी प्रारम्भिक शिक्षा को पूर्ण कर शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

राजस्थान में कक्षा 6 से 8 के लिए अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, जयपुर, जालौर एवं उदयपुर जिले के आवासीय विद्यालय केजीबीवी मॉडल-I के मादण्डण्ड अनुसूड तथा जोधपुर जिले का आवासीय विद्यालय केजीबीवी मॉडल- II के मादण्डण्ड अनुसूड एस.एम.सी. के माध्यम से संचालित है। चार आवासीय छात्रावास जिला बीकानेर, कोटा एवं जैसलमेर में संचालित है।

5. **ट्रांसपोर्ट वाउचर:-** ऐसे छितरी एवं कम आबादी क्षेत्रों एवं ढाणियों जहां निर्धारित मानदण्डनुसार विद्यालय का संचालन संभव नहीं है, में निवास कर रहे 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को सहज एवं गुणवत्ताकरक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उनके वास स्थान के निकटस्थ विद्यालयों में अध्ययन हेतु सुगमता पूर्वक ढुँचाने के उद्देश्य से सत्र 2017-18 से कक्षा 1-8 के ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा दी जा रही है। इसी प्रकार बालिका शिक्षा में नामांकन दर ठहराव दर बढाने व जेण्डर गेड कम करने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा की कक्षा 9-12 बालिकाओं को साईकिल योजना से लाभान्वित नहीं होने पर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जाता है।

6. **यूथ एवं ईको क्लब:-** यूथ क्लब के तहत बच्चों में जीवन जीने का कौशल, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास विकसित करने तथा तनाव, भय एवं संकोच जैसे मनोविकारों को दूर कर सोच में लचीलापन विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में यूथ क्लब की स्थापना की गयी। ईको क्लब के तहत बच्चों को अपने आस-पास के ढर्यावरण एवं जैव-विविधता के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाने तथा ढर्यावरण गतिविधियों एवं प्रोजेक्ट्स पर कार्य करने के लिए क्षमता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राजकीय विद्यालय में ईको क्लब की स्थापना की गयी। प्रत्येक विद्यालय में यूथ एवं ईको क्लब के तहत विद्यार्थियों के लिये पांच सदन (हाऊस) गठित किये गये। शिक्षक विद्यार्थीगणों को उनके स्वयं के नाम के अर्थ को समझाते हुए उसे अपने सदन (हाऊस) के नाम के ढरिप्रेक्ष्य में सम्बद्ध करने के प्रयास के लिये प्रेरित किया जायेगा। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को सदन (हाऊस) के नाम की महत्वता बतलाते हुए इस नाम की अन्य विषयों से सम्बद्धता को इन्टरनेट, ढत्र-ढत्रिकाओं इत्यादि स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होगी तथा वे अपने सदन के नाम को समग्र रूप से समझ सकेंगे एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध कर सकेंगे।

7. **लाइब्रेरी ग्रान्ट:-** पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त ऐसी पुस्तकों तक बच्चों की ढुँच सुलभ की जावे जो ज्ञानवर्द्धक होने के साथ-साथ रुचिपूर्ण एवं मनोरंजक हो। पुस्तकें बच्चों के ढठन कौशल विकास में सहायक होती हैं। साथ ही समझ कर ढढने की ओर प्रेरित कर चहुमुखी प्रगति के द्वार

खोलती हैं। जिस बच्चे की रुचि जिस क्षेत्र में है, पुस्तकें उस क्षेत्र की ओर अनन्त तक उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। पुस्तकें पढ़ने के साथ-साथ बच्चे पुस्तकों से आत्मीय रिश्ता ढूँढते हैं। इसलिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 में प्रावधान के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होना होगा, जिससे किताबों (चित्रमय), संदर्भ पुस्तकों, जैव ग्राफिक्स, ऑटो जैव ग्राफिक्स, शब्दकोश, विश्वकोष, ऑपियो विजुअल सामग्री इत्यादि के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों तक पहुँच होगी।

8. स्पोर्ट्स ग्रांट:- बच्चों में खेलों के प्रति रुचि विकसित करने तथा बच्चों को शैक्षिक गतिविधि के साथ-साथ खेलकूद गतिविधियां कराये जाने के लिये 'खेले इणिया खिले इणिया' के अन्तर्गत माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों को खेल सामग्री व उपकरण हेतु स्पोर्ट्स ग्रांट का प्रावधान किया गया है।

9. कम्पोजिट स्कूल ग्रांट:- समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य को बढ़ावा देने के लिये पाठ्य-सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

10. ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC Grant)- कार्यालयी कार्य को गति देने एवं प्रभावी बनाने की श्रृंखला में शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों पर समय-समय पर आयोजित की जाने वाली बैठकों की सफल व्यवस्थाओं निर्बाध संचालन हेतु समग्र शिक्षा अन्तर्गत 301 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) को ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन एवं अकादमिक सहायता हेतु बीआरसी ग्रांट का बजट प्रावधान है। परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों के विद्यालय स्तर पर प्रभावी संचालन व मॉनीटरिंग तथा ब्लॉक कन्टिजेन्सी, मीटिंग, टीए व टीएलएम हेतु बजट प्रावधान रखा गया है।

11. संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रांट (CRC Grant) :- परियोजना के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियों के विद्यालय स्तर पर प्रभावी संचालन व मॉनीटरिंग हेतु पीईईओ एवं शहरी नोडल केन्द्रों हेतु संकुल सन्दर्भ केन्द्र राशि जारी की जाती है। यह राशि कन्टिजेन्सी, मीटिंग, टीए, टीएलएम व मोबिलिटी सपोर्ट हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

12. शिक्षक पहचान-पत्र :- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार विद्यालय की शैक्षिक व सहशैक्षिक गतिविधियों के साथ-साथ शिक्षा से वंचित बच्चों एवं समुदाय

को विद्यालय से जोड़ने में शिक्षकों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, जिससे शिक्षकों की विद्यालय के साथ-साथ समाज के रचनात्मक कार्यों एवं शैक्षिक क्रिया-कलापों में भागीदारी बढ़ी है। विद्यालय परिसर एवं सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाली बाल सभाओं अथवा अन्य रचनात्मक शैक्षिक गतिविधियों में शिक्षकों की भूमिका को ध्यान में रखकर समुदाय में शिक्षकों की पहचान सुनिश्चित करने के लिये राजकीय विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक को 'शिक्षक परिचय पत्र' दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

13. शिक्षक पायरी :- शिक्षकों द्वारा शिक्षक पायरी में शिक्षण से पूर्व पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, जिससे शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने में सहायता मिलती है तथा शिक्षण की विधाओं में सुधार आता है। शिक्षक पायरी; शिक्षक द्वारा की जाने वाली शिक्षण गतिविधियों का दर्पण होती है। इसका प्रभावी उपयोग किया जाकर विषयवस्तु को बच्चों तक बेहतर तरीके से पहुंचाया जा सकता है तथा निर्धारित कालखण्ड अनुसार समय पर पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जा सकता है। शिक्षक पायरी द्वारा प्रतिदिन कक्षाकक्ष में सम्पादित की गई शैक्षिक गतिविधि का आकलन किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट सत्र 2019-20 में राजकीय विद्यालयों के प्रत्येक शिक्षक को 'शिक्षक पायरी' उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है।